न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 24/2024 – ~~निगरानी~~

1. रामप्रसाद पिता बालुराम बनाम पायक निवासी बालुराम पायक निवासी बरसणी तहसील आसींद शंकर पिता चम्पालाल पायक निवासी केलवा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद

1. ग्राम पंचायत दौलतगढ जरिए सरपंच ग्राम पंचायत दौलतगढ
2. ग्राम पंचायत दौलतगढ जरिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दौलतगढ
3. भरत पिता मांगीलाल ढालिया जाति पायक निवासी हमीरगढ जिला भीलवाड़ा हाल निवासी दौलतगढ
4. अशोक कुमार पिता मोहनलाल पायक निवासी दौलतगढ
5. गीता पुत्री मोहनलाल पत्नी मूलचंद पायक निवासी दौलतगढ तहसील आसींद जिला भीलवाडा हाल निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
6. विमला पुत्री मोहनलाल पत्नी भैरूलाल पायक निवासी दौलतगढ तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा हाल निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद
7. चिडीया पुत्री मोहनलाल पत्नी दौलत सांखला निवासी दौलतगढ हाल मदनगंज मैन रोड, किशनगढ जिला अजमेर
8. श्यामलाल माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणी तहसील आसींद
9. रामलाल माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणी तहसील आसींद
10. गोपाल माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणीतह–आसींद
11. इन्द्रमल माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणी तह–आसींद
12. शांतिलाल माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणी तह–आसींद
13. काली माता नानी बाई पिता बालू

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

22/12/25

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पायक निवासी बरसणी तह–आसींद हाल राजगढ तहसील एवं जिला अजमेर

14. मंजु पुत्री माता नानी बाई पिता बालू पायक पत्नी सत्यनारायण पायक निवासी बरसणी तह–आसींद
15. मीनूदेवी माता नानी बाई पिता बालू पायक निवासी बरसणी तह–आसींद हाल निवासी सरवाणिया महाराज नीमच तहसील व जिला नीमच म0प्र
16. भंवरलाल माता बदामबाई पिता मगनालाल पायक निवासी आसींद
17. छग्गुबाई माता बदामबाई पिता मगनालाल पायक निवासी आसींद पत्नी मोहनलाल पायक हाल गेरोट तह–नीमच म0प्र0
18. लादूलाल माता बदामबाई पिता मगनालाल पायक निवासी आसींद
19. गीताबाई माता बदामबाई पिता मगनालाल पायक निवासी आसींद
20. रकुबाई माता दाखीबाई पत्नी राधेश्याम पायक निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमंद
21. नाथुलाल माता दाखीबाई पिता चम्पालाल पायक निवासी केलवा तहसील व जिला राजसमंद

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत दौलतगढ द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 दिनांक 07.02.2012

उपस्थित –

1. श्री आर. एल. रावत, मनोहर लाल बुनकर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. विपक्षी संख्या 03 स्वयं उपस्थित।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 22.12.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकारान संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टा 09/07.02.2012 को गैर निगराकार 3 को

22.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मोहनी देवी पत्नी गोकल पायक निवासी दौलतगढ के पक्ष में जारी किया गया जिसका पटटा रजिस्टर्ड होने के बाद जरिये दान गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में अन्तरण कर दिया गया जो विधि विरूद्व हैं। प्रकरण में अंकित सजरे के अनुसार विवादित पट्टे की भूमि विरासत में लालू से निगराकार एवं अनिगराकार को प्राप्त हुई। विवादित पट्टे की भूमि का कानूनी कभी विभाजन नही हुआ एवं वर्तमान में भी संयुक्त शामलाती रूप से उपयोग उपभोग में है। उक्त सजरे अनुसार निगराकार व अनिगराकार संख्या 4 से 12 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् धारा 6 के अनुसार सभी पक्षकार अर्थात निगरानीकर्ता व अनिगराकार संख्या 4 से 22 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है एवं सभी को विरासत में उक्त गुवाडी प्राप्त हुई है। अनिगराकार संख्या 3 ने गलत तथ्य बताकर अनिगराकार संख्या 1, 2 को अपने प्रभाव में लेकर विवादित गुवाडी का पट्टा मोहनीदेवी पत्नी गोकल पायक के नाम पर जारी किया। उसके बाद उप–पंजीयक आसींद से पंजीयन करवाकर बक्षीस नाम(दान) कराते हुए 02.07.2013 को अनिगराकार 3 के पक्ष में अंतरण कर दी, जो निगराकार के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है, जिससे अनिगराकार संख्या 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बिना विभाजन पट्टा जारी करना पंचायत की बडी भूल है जिसे अनिगराकार 1, 2, 3 ने मिलीभगत कर गलत रूप से जारी किया। उक्त विवादित पट्टे की जानकारी निगराकार को पहले कतई नही थी। दिनांक 06.04.2024 को दौलतगढ जाने पर अनिगराकार 3 के द्वारा विवादित पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर अवैध निर्माण रोकने को कहा तो उन्होने अपने नाम पर रजिस्ट्री होने के बारे में बताया जिसके बाद पंचायत से पट्टे की नकल दिनांक 08.04.2024 को निकलवाई गई। जिसके पश्चात् अविलंब उक्त निगरानी प्रस्तुत की गई है। निवेदन है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 07.02.2012 जो अनिगराकार संख्या 3 मोहनीदेवी के पक्ष में जारी किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 03 स्वयं उपस्थित। विपक्षी संख्या 04 से 22 अनुपस्थित। प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या 03 की बहस सुनी गयी।

22.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगराकारान संख्या 1 व 2 द्वारा पट्टा 09/07.02.2012 को गैर निगराकार 3 को मोहनी देवी पत्नी गोकल पायक निवासी दौलतगढ के पक्ष में जारी किया गया जिसका पटटा रजिस्टर्ड होने के बाद जरिये दान गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में अन्तरण कर दिया गया जो विधि विरूद्व हैं। प्रकरण में अंकित सजरे के अनुसार विवादित पट्टे की भूमि विरासत में लालू से निगराकार एवं अनिगराकार को प्राप्त हुई। विवादित पट्टे की भूमि का कानूनी कभी विभाजन नही हुआ एवं वर्तमान में भी संयुक्त शामलाती रूप से उपयोग उपभोग में है। उक्त सजरे अनुसार निगराकार व अनिगराकार संख्या 4 से 12 का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत् धारा 6 के अनुसार सभी पक्षकार अर्थात निगरानीकर्ता व अनिगराकार संख्या 4 से 22 का जन्म से ही हक अधिकार निहित है एवं सभी को विरासत में उक्त गुवाडी प्राप्त हुई है। अनिगराकार संख्या 3 ने गलत तथ्य बताकर अनिगराकार संख्या 1, 2 को अपने प्रभाव में लेकर विवादित गुवाडी का पट्टा मोहनीदेवी पत्नी गोकल पायक के नाम पर जारी किया। उसके बाद उप–पंजीयक आसींद से पंजीयन करवाकर बक्षीस नाम(दान) कराते हुए 02.07.2013 को अनिगराकार 3 के पक्ष में अंतरण कर दी, जो निगराकार के मुकाबले प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है, जिससे अनिगराकार संख्या 3 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। बिना विभाजन पट्टा जारी करना पंचायत की बडी भूल है जिसे अनिगराकार 1, 2, 3 ने मिलीभगत कर गलत रूप से जारी किया। निवेदन है कि उक्त प्रश्नगत पट्टा संख्या 9 दिनांक 07.02.2012 जो अनिगराकार संख्या 3 मोहनीदेवी के पक्ष में जारी किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

गैर निगराकार संख्या 03 ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत पटटा उप पंजीकृत दानपत्र (बक्षीसनामा) से दिनांक 02.07.2013 से बक्षीसशुदा हैं। पंजीकृत दस्तावेज की सुनवायी का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। निवेदन हैं कि उक्त निगरानी प्रकरण की सुनवायी इस न्यायालय की क्षैत्राधिकारिता में नही होने से निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का

22.12.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकित किया कि प्रश्नगत पटटे का पंजीयन उप पंजीयक आसीन्द में किया गया हैं। उसके पश्चात् उक्त पटटे का बक्षीसनामा (दान) जरिये रजिस्टर्ड दिनांक 02.07.2013 से बक्षीसनामा किया गया है। प्रश्नगत पटटे का पंजीयन हो जाने से एवं रजिस्टर्ड बक्षीसनामा (दान) को निरस्त करने बाबत् क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत दौलतगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.12.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा